पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़

निविदा संख्या –   /2025–26   :–निविदा फार्म :–1000 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत

1	बैंक का नाम	पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि0,पिथौरागढ़
2	सूचना प्रकाशन की तिथि	
3	निविदा फार्म प्राप्त करने की तिथि	
4	साक्ष्यों सहित सूचना बैंक को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	
6	कार्यालय जिसकें लिए निविदा आमंत्रित की जाती हैं (उक्त हेतु कोई भी अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा)	पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि0,पिथौरागढ़ प्रधान कार्यालय – पिथौरागढ़
7	कार्य का विवरण	पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़ के गैर निष्पादित आस्तियों में वर्गीकृत (सुरक्षित एवं असुरक्षित) ऋणों की वसूली करना।
8	दर/कमीशन का प्रतिशत	
9	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पता	
10	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के संचालक कर्ता का नाम	
11	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का दूरभाष एवं मोबाईल नंबर	
12	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पूर्ण पता (साक्ष्य सहित)	

मैं...घोषणा करता हूँ कि बैंक द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते को पढ़ लिया हैं, मुझे मान्य हैं। उपरोक्त में जो भी सूचना मेरे द्वारा भरी गई हैं, वह पूर्णतयः सत्य एवं सही हैं। यदि उसमें कोई त्रुटी पायी जाती हैं या पुष्टि हेतु साक्ष्य के आभाव में तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायें।

स्थान –   हस्ताक्षर

दिनॉक–   फार्म/संस्था के प्रो0 का नाम

नियम व शर्तें

पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़ बैंक की 31 शाखाओं के बकाया वसूली हेतु 1 वर्ष हेतु अस्थाई रूप से **DEBT RECOVERY AGENT** की आवश्यकता है। बैंक के बकाया (सुरक्षित **(SECURED)** एवं असुरक्षित **(UNSECURED)**) ऋण वसूली हेतु रिकवरी फर्म/संस्था द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। उक्त कार्य हेतु रिकवरी फर्म/संस्था को निविदा में भाग लेने हेतु निम्न आर्हताओं का होना आवश्यक है।

1.**DEBT RECOVERY AGENT** के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक फर्म/संस्था द्वारा निविदा के आपूर्ति के सम्बन्ध में निविदा देने से पूर्व बैंक कार्य दिवस में बैंक के मुख्यालय पिथौरागढ़ में जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

2.स्वीकृत निविदा वाली फर्म/संस्था के साथ कार्य करने से पूर्व बैंक कार्यालय द्वारा अनुबन्ध स्थापित किया जायेगा।

3.निविदा फार्म मूल्य रू0 1000+(18% जी0एस0टी0) निर्धारित हैं।

4.निविदा प्रपत्र के साथ फर्म/संस्था द्वारा निम्न प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न की जानी अनिवार्य हैं।

i. पैन संख्या।

ii. व्यापार/वाणिज्य कर में पंजीकरण प्रमाण पत्र।

iii. अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 3 वर्ष)। (वर्तमान में कार्यरत/राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ कार्य करने वाली संस्था को वरियता प्रदान की जायेगी)।

iv. IIBF द्वारा DEBT RECOVERY AGENT के रूप में प्रशिक्षण एवं परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र।

v. फर्म/संस्था द्वारा रिकवरी एजेंट रूप से कार्य करने वाली अपने कर्मचारियों का विवरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र।

5. निविदाऐं पंजीकृत डाक से प्रेषित की जायेगी अथवा निर्धारित तिथि तक बैंक कार्यालय में इस परियोजक हेतु बने मुख्यालय में जमा की जा सकती हैं।
6. निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा खोलते समय निविदादाता फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
8. प्राप्त निविदाओं को बिना कारण किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने तथा निविदा तिथि में परिवर्तन करने का पूर्व अधिकार बैंक द्वारा गठित कमेटी को होगा।
9. डेब्ट रिकवरी एजेन्ट (DRA) फर्म से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करवाते हुए डेब्ट रिकवरी एजेन्ट (DRA) फर्म को मु0 50,000.00/रूपये की सावधि जमा सिक्योरटी के रूप में बैंक के पक्ष में बंधक रखना होगा।
10. बैंक के समस्त दस्तावेजों की गोपनीयता बनायें रखना होगा।
11. यह नियुक्ति बकाया ऋण वसूली तक ही सिमित होगा, किसी भी प्रकार का अन्य अधिकार संचालित रूप में प्राप्त नही होगी।
12. वसूली के दौरान एजेंट को आई०डी० कार्ड एवं ऑथोराईजेसन लैटर साथ में रखना अनिवार्य होगा।
13. ग्राहक को किसी भी प्रकार की धमकी, बदसलूकी, गलत जानकारी, जबरदस्ती मानसिक दबाव डालना पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा व एजेंट अपने व्यवहार एवं गतिविधियों के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

14.बैंक द्वारा डी0आर0ए0 की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी। वित्तीय वर्ष अन्तर्गत डी0आर0ए0 का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में एवं नियमों का उल्लंघन गलत आचरण व्यवहार प्रदर्शित होने की दशा में उक्त एजेन्सी के साथ अनुबन्ध रद्द कर दिया जायेगा एवं डी0आर0ए0 का कार्य द्वितीय न्यूनतम निविदा वाली एजेंसी को दे दिया जायेगा।

15.बैंक द्वारा रिकवरी में आयकर एवं अन्य कर की कटौती के उपरान्त ही फर्म/संस्था को भुगतान किया जायेगा।

16.उक्त सम्बंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं नियमावली 2004 के तहत निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड देहरादून को संदर्भित किया जायेगा।

दिनॉक

फर्म/संस्था के अधीकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर –
(मुहर सहित) नाम –
फर्म/संस्था के कार्यालय पता –
फोन नम्बर –